फर्द अहकाम

निविदा केवल लोगों बनाम जाता पुरानाल

24/2018 / 20

आज्ञा अनुसार कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
	पत्रावली केवल कुमार होकर [illegible] के कारण हो जाने तहसील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पुनश्च:- इतना लिखने पर वकील प्रार्थी/वादी ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण इजराय आदेश न होकर पत्रावली है। वकीलवादी ने वाद दायर की थी। वकीलवादी ने अपनी वाद में राजीनामे के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली अवलोकन रिकार्ड, राजीनामा व माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष राजीनामा पेश किया था। राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने भी अपने निर्णय में लिखा है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रकरण को निरोकृत किया जावे। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पत्रावली केवल कुमार होकर तहसील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:26:19 IST
Reason: Self Attested